



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 01.03.2023

गम्भीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी जवाहर सिंह को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जवाहर सिंह पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में वादी अंकुर पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम बावली थाना बडौत के माता-पिता को गम्भीर चोट पहुंचाने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 1166/2016 धारा 323/325/452/308/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 02 स्पेशल जज एससी/एसटी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जवाहर सिंह को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 325 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 308 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

जवाहर सिंह पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 01.03.2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/23 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल किया बरामदा

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/23 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री वृक्षपाल सिंह ।
2. म0का0 424 सोफी तेवतिया ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 189/23 धारा 147/323/352/504/506 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01-03-2023 को थाना कोतवाली बागपत को सूचना मिली कि नयागाँव हमीदाबाद में मेरठ रोड पर कुछ लड़के आपस में गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना स्थल पर पहुँचकर मौके से मारपीट करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 189/23 धारा 147/323/352/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 189/23 धारा 147/323/352/504/506 भादवि से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मोहित पुत्र सुनील निवासी गाँव मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-विकास पुत्र मुकेश निवासी गाँव मितली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-आकाश पुत्र राजू निवासी मौ० कश्यप कालोनी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

02-का० 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

03-का० 982 नीरज थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 01-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 592/22 धारा 279/338/304A भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 592/22 धारा 279/338/304ए भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील कुमार पुत्र रणधीर सिंह निवासी तेवडी खनान चौपाल थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01-उ०नि० श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

02-है०का० 508 मंजीत कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

03-का० 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक – 01-03-2023

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 366/22 धारा 406/420 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24-12-2022 को थाना छपरौली पर वादी श्री सूरज खोखर पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसने राहुल कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम 1/38 पीला क्वार्टर लोहियानगर गाजियाबाद को अपनी गाड़ी महेन्द्रा पीकप चलाने के लिए किराये पर दी थी

जो उसने गायब कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 366/22 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 420 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त दीपक पुत्र सुखवीर निवासी कस्बा बरवाला हिसार हरियाणा का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा



थाने के मु0अ0सं0 366/22 धारा 406/420 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र राजवीर निवासी लोहिया नगर जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. श्री आशीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 01-03-2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 047/2023 धारा
452/354(ख)/376/511/323/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित
एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 047/2023 धारा 452/354(ख)/376/511/323/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित एक



अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पंकज पुत्र भोपाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1072/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.11.22 को थाना कोतवाली बागपत पर पूर्ती निरीक्षक श्री राहुल पटेल तहसील बागपत लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण ताजू पुत्र अब्दुल हमीद निवासी जौहडी थाना बिनौली व इनाम पुत्र शहीदू निवासी बदरखा थाना छपरौली द्वारा सार्वजनिक वितरण के चावल को मुनाफाखोरी के उद्देश्य से आशर केन्टर यूपी-17टी-4412 से ले कर जा रहे थे । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1072/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में पंजीकृत किया था।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1072/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 23-01-2023 को 137 क्विंटल चावल बरामद कर एक अभियुक्त इनाम को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

ताजू पुत्र अ०हमीद निवासी जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व०उ०नि० श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत ।

2-का० 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 01-03-2023

थाना बडौत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ कुमार पुत्र देशपाल निवासी कुटुबपुर दताना थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 01.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता:-

तालिब पुत्र याकूब निवासी ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य ।

2-है0का0 रविन्द्र ।



BAGHPAT POLICE



बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत 02 माह में कुल-77 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2023 से 28-02-2023 तक कुल-77 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है । इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है ।

माह जनवरी			
क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
1	बागपत	676/22	363 भादवि
2	बागपत	1157/22	366 भादवि
3	बागपत	18/23	363 भादवि
4	बागपत	58/23	363 भादवि

5	बागपत	69/23	366 भादवि (01 महिला व उसकी 01 लड़की)
6	सिंघावली अहीर	24/23	366 भादवि
7	सिंघावली अहीर	25/23	366 भादवि
8	सिंघावली अहीर	02/23	366 भादवि
9	सिंघावली अहीर	08/23	365 भादवि
10	सिंघावली अहीर	12/23	365 भादवि
11	बिनौली	330/22	365 भादवि
12	बिनौली	4/23	366 भादवि
13	खेकड़ा	119/22	366 भादवि
14	खेकड़ा	381/22	366 भादवि
15	खेकड़ा	20/23	363 भादवि
16	बालैनी	08/23	365 भादवि
17	बालैनी	15/23	365 भादवि
18	बड़ौत	1184/22	363 भादवि
19	बड़ौत	1188/22	366 भादवि
20	बड़ौत	21/23	363 भादवि
21	बड़ौत	35/23	363 भादवि
22	बड़ौत	38/23	363 भादवि (01 महिला व उसकी 01 लड़की)
23	बड़ौत	56/23	366 भादवि
24	बड़ौत	64/23	363 भादवि
25	बड़ौत	67/23	363 भादवि

26	बड़ौत	79/23	366 भादवि
27	दोघट	19/23	366 भादवि
28	रमाला	348/22	365 भादवि (01 महिला व उसके 02 बच्चे)
29	रमाला	14/23	365 भादवि
30	छपरौली	08/23	363 भादवि
31	छपरौली	24/23	363 भादवि
32	बागपत	3/23	363 भादवि
33	रमाला		05 साल की गुमशुदा बच्ची
34	छपरौली		01 गुमशुदा लड़का
35	दोघट	297/22	363 भादवि
माह फरवरी			
36	बागपत	05/23	363 भादवि
37	बागपत	108/23	366/328 भादवि
38	बागपत	112/23	363/504 भादवि
39	बागपत	115/23	363 भादवि
40	बागपत	116/23	363 भादवि
41	सिंघावली अहीर	44/23	363/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट
42	बिनौली	333/22	366 भादवि
43	बिनौली	30/23	365 भादवि
44	बिनौली	42/23	363 भादवि
45	बिनौली	44/23	363 भादवि

46	खेकड़ा	04/23	366 भादवि(01 महिला व उसकी 01 लडकी)
47	खेकड़ा	28/23	365 भादवि
48	खेकड़ा	48/23	365 भादवि
49	बालैनी	14/23	366 भादवि(01 महिला व उसकी 01 लडकी)
50	बालैनी	22/23	363 भादवि
51	बडौत	93/23	363 भादवि
52	बडौत	117/23	363 भादवि
53	बडौत	118/23	366 भादवि
54	बडौत	127/23	366 भादवि
55	बडौत	138/23	365 भादवि
56	बडौत	145/23	363 भादवि
57	बडौत	146/23	366/506/507 भादवि
58	बडौत	148/23	363 भादवि
59	बडौत	152/23	363 भादवि
60	दोघट	24/23	363 भादवि
61	दोघट	27/23	366 भादवि
62	दोघट	36/23	363 भादवि
63	रमाला	24/23	365 भादवि
64	रमाला	30/23	363 भादवि
65	छपरौली	14/23	365 भादवि
66	छपरौली	25/23	366 भादवि

67	छपरौली	30/23	363 भादवि
68	छपरौली	32/23	363 भादवि
69	छपरौली	40/23	366 भादवि
70	छपरौली	45/23	366 भादवि(01 महिला व उसकी 01 भतीजी)



BAGHPAT POLICE



साइबर सैल

फरवरी 2023

साइबर सैल जनपद बागपत के द्वारा माह फरवरी 2023 में 05 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रूपयों की धोखा-धड़ी में कुल रकम 1,96,078 रूपये वापस कराये गये-

साइबर सैल जनपद बागपत द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रूपयों को वापस कराया गया। रूपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०सं०	थाना	प्रा०पत्र सं०	बरामद धनराशि
01	बागपत	प्रा० पत्र सं०- 376/22	20,000/- रूपये
02	बडौत	प्रा० पत्र सं०- 373/22	49,000/- रूपये

03	बडौत	प्रा0 पत्र सं0- 57/23	10,000/- रूपये
04	सिंघावली अहीर	प्रा0 पत्र सं0- 432/22	75,000/- रूपये
05	रमाला	प्रा0 पत्र सं0- 77/23	42,078/- रूपये
		कुल योग	1,96,078/-रूपये